पत्रांक–अ०सं०क०-01-115/2016.........640........./

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

....

प्रेषक,

मो० एस० आई० फैसल
विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक......13.6.18......

विषय– बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त सहायकों का संविदा के आधार पर नियोजन के विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना में बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त सहायक के 10 (दस) पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन के प्रकाशन हेतु सूचना प्रपत्र 05 हार्ड कॉपी एवं 01 सॉफ्ट कॉपी के साथ प्रेषित की जा रही है।

अनुरोध है कि इसका प्रकाशन राज्य के पाँच मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में अतिशीघ्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मो० एस० आई० फैसल)
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–.....640.......   पटना, दिनांक.....13.6.18.....

प्रतिलिपिः–श्री रिजवान अहमद, सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विज्ञापन प्रकाशन हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–निदेशक

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
बिहार, पटना

17

सूचना

बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत सहायकों का संविदा का आधार पर नियोजन

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (मुख्यालय) के सचिवालय सहायक के 10 रिक्त पदों पर बिहार सचिवालय सेवा से सेवानिवृत्त सचिवालय सहायक को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक 10.07.17 एवं पत्रांक 3815 दिनांक 11.03.16 के आलोक में निम्नांकित शर्त के साथ सुयोग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

पदों के रिक्ति निम्न प्रकार है :–

क्र०	पद का नाम	कुल सं०	सामान्य		अ०पि०वर्ग		पि०वर्ग		अनु० जाति		अनु० जनजाति		पि०व० की महिला
			पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	
1.	सहायक	10	03	02	01	01	01	00	01	01	00	00	00

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2342 दिनांक 15.02.2016 द्वारा 35% क्षैतिज आरक्षण प्रावधानित है। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में संगत कोटि के पुरूष उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा।

नियोजन का शर्त :–

1. विज्ञापन की अंतिम तिथि को न्यूनतम आयु 60 वर्ष तथा कार्यरत रहने तक अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
2. संविदा के आधार पर नियोजन 2(दो) वर्ष के लिए किया जायेगा तथा चयन प्रथम दो वर्षों के लिए होगी। अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यतानुसार एक–एक वर्ष के लिए उनके सेवा विस्तार उनके कार्यों के समीक्षोपरान्त की जा सकेगी।
3. किसी पद विशेष से सेवानिवृत सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरूद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत सरकारी सेवक का संविदा नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।
4. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वहीं होगी।
5. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवा माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
6. संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों में से किसी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर उसे समाप्त की जा सकेगी।
7. सहायकों की नियमित नियुक्ति (यथा सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के उपरांत नियुक्ति) के उपरांत सहायकों के पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित सहायकों की सेवा समाप्त हो जायेगी।
8. भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व अपने संवर्ग नियंत्री विभाग की अनापत्ति प्राप्त कर संलग्न करेंगे।
9. इच्छुक सेवानिवृत्त सहायक इस आशय का भी शपथ–पत्र संलग्न करेंगे कि सेवाकाल में उनके विरूद्ध कोई आरोप या विभागीय कार्यवाही/अपराधिक मुकदमा लंबित नहीं रहा है।
10. इच्छुक सेवानिवृत्त सहायक पूर्ण विवरण निम्नांकित विहित प्रपत्र में हाथों–हाथ या निबंधित पत्र के माध्यम से पुराना सचिवालय, ब्लॉक नं०–4, सिंचाई भवन के पीछे, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना में जमा करेंगे। आवेदन दिनांक 12-07-2018 के अपराह्न 5.00 बजे तक समर्पित किया जा सकेगा। आवेदन प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाईट http://minoritywelfare.bih.nic से डाउनलोड किया जा सकता है।

नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

1. आवेदित पद का नाम	उम्मीदवार का अभिप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ
2. आवेदक का नाम	
3. आवेदक के पिता/पति का नाम..	
4. स्थायी पता	
5. पत्राचार का पता	
6. आवेदक की जन्म एवं सेवानिवृत्ति की तिथि	

(जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

7. शैक्षणिक योग्यता (सभी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
8. आरक्षण कोटि (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) (आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही अनुमान्य होगा)
9. कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं – ....
10. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम – ....
11. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतन/पे बैण्ड/महँगाई भत्ता एवं अन्य कुल प्राप्त होने वाले राशि – ....
    (पेंशन स्वीकृत्यादेश आदेश की छायाप्रति संलग्न करें)
12. वर्तमान के पेंशन की राशि – ....
13. मोबाईल नं० – ....

नोट– आवेदन टंकित कराकर भेजा जा सकता है।

घोषणा–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपाई गई है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गई है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गई जानकारी से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन–पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार की पैरवी की स्थिति में नियुक्ति में विचार नहीं किया जायेगा और आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(मो० एस० आई० फैसल)
विशेष सचिव–सह–निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना